बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
अधिसूचना

संख्याः–2 / वन्यप्राणी–34 / 19....101........... / प.व.ज.प. **पटना -15, दिनांकः**–...09|01|25

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना ज्ञापांक–2 / वन्यप्राणी–34 / 19–336(ई०) / प.व.ज.प. दिनांक 03.05.2021 द्वारा रोहतास जिला अन्तर्गत दिनारा अंचल के मौजा–भलुनी में प्रसिद्ध भलुनी धाम की 30.20 एकड़ अनाबाद सर्वसाधारण भूमि के पादपीय, प्राणिजातीय एवं पारिस्थितिकीय महत्व को देखते हुए वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा संशोधित अधिनियम, 2003) की धारा 36–क के तहत् 'भलुनी धाम संरक्षण आरक्ष' अधिसूचित किया गया है। वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा संशोधित अधिनियम, 2003) की धारा 36–ख द्वारा उक्त संरक्षण आरक्ष के प्रबंधन हेतु प्रबंध समिति के गठन का प्रावधान किया गया है।

उक्त अधिनियम की धारा 36–ख में निहित प्रावधान के आलोक में भलुनी धाम संरक्षण आरक्ष के संरक्षण, रख–रखाव एवं प्रबंधन कार्यों में बिहार के मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक को आवश्यक सलाह देने के लिए **भलुनी धाम संरक्षण आरक्ष प्रबंधन समिति** का गठन निम्नवत् किया जाता हैः–

1	वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम	अध्यक्ष
2	श्री कन्हैया लाल पंडित, पिता–स्व. गंगा दयाल पंडित, ग्राम–भलुनी, पंचायत–हरिवंशपुर, प्रखण्ड–दिनारा, जिला–रोहतास	सदस्य
3	श्री समीर कुमार सिन्हा, भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट, नोएडा (गैर सरकारी संस्थान के प्रतिनिधि)	सदस्य
4	श्री प्रकाश चन्द्र मरडराज, क्षेत्रीय पदाधिकारी, डब्लू.डब्लू.एफ. इंडिया, बेतिया (गैर सरकारी संस्थान के प्रतिनिधि)	सदस्य
5	श्री मनोज कुमार सिंह, सचिव सह कार्यकारी, निदेशक, नवदृष्टि गैर सरकारी संस्थान के प्रतिनिधि।	सदस्य
6	जिला कृषि पदाधिकारी, रोहतास के प्रतिनिधि।	सदस्य
7	जिला पशुपालन पदाधिकारी, रोहतास के प्रतिनिधि।	सदस्य
8	वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, विक्रमगंज वन प्रक्षेत्र	सदस्य–सचिव

उपर्युक्त समिति अपनी बैठकों में आवश्यकतानुसार आरक्ष के संरक्षण एवं प्रबंधन आदि विषयों पर विमर्श हेतु संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारियों एवं/अथवा विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगी।

यह समिति अपने स्वयं की प्रक्रिया जिसके अन्तर्गत गणपूर्ति (कोरम) भी है, का विनियमन कर सकेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/–
(बन्दना प्रेयषी)
सरकार के सचिव,

ज्ञापांकः— 2/वन्यप्राणी—34/19 101 / प. व.ज.प. **पटना -15, दिनांकः**— 09/01/25

प्रतिलिपि — माननीय मंत्री के आप्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना/ सभी विभाग/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी आरक्षी अधीक्षक/ सभी जिला पदाधिकारी/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना/ सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/ सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ सभी मुख्य वन संरक्षक/ सभी वन संरक्षक/ सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी/विभागीय प्रधान सचिव के आप्त सचिव/सभी नामित सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/1/2025

(बन्दना प्रेयषी)
सरकार के सचिव